झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस) संख्या 3395 वर्ष 2020

1. अनिल कुमार तिवारी, उम्र 61 वर्ष, स्वर्गीय राजेंद्र तिवारी के पुत्र, रसिकपुर, कॉलेज रोड, दुमका, डाकघर, थाना और जिला–दुमका, पिन–814101
2. जय प्रकाश झा जयंत, उम्र 61 वर्ष, पे0–स्वर्गीय देबानंद झा, निवासी ग्राम–बनगाँव, डाकघर एवं थाना–बनगाँव, जिला–सहरसा (बिहार)
3. विनय चंद्र प्रसाद सिंह, उम्र 61 वर्ष, पे0–स्वर्गीय राजनारायण सिंह, निवासी–रसिकपुर, शिव धाम मंदिर रोड, डाकघर एवं थाना–दुमका, जिला–दुमका
4. श्रीमती करूणा कुमारी, उम्र 61 वर्ष, पुत्री–चिंतगामनी यादव, पत्नी–मदन मोहन यादव, निवासी–डांगलपुर, डाकघर, थाना एवं जिला–दुमका

... . याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक विद्यालय विभाग), झारखण्ड सरकार, परियोजना भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–राँची

3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड सरकार, परियोजना भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–राँची

4. उपायुक्त, दुमका, डाकघर, थाना और जिला–दुमका

5. जिला शिक्षा अधिकारी, दुमका, डाकघर, थाना और जिला–दुमका

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री दुर्गा चरण मिश्रा, अधिवक्ता

प्रतिवादी–राज्य के लिए: श्री ऋषु रंजन, एस0सी0–III के ए0सी0

03 / 21.01.2021 श्री दुर्गा चरण मिश्रा, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री ऋषु रंजन, प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

इस रिट याचिका को कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को योग्यता के आधार पर सुना गया है।

याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं को यह निर्देश के लिए इस रिट याचिका को दायर की है कि याचिकाकर्ताओं को वरीय वेतनमान और प्रवर वेतनमान भी दिया जाय।

याचिकाकर्ता संख्या 1 को 15.02.1982 को नियुक्त किया गया था, याचिकाकर्ता संख्या 2 को 20.04.1983 को नियुक्त किया गया था, याचिकाकर्ता संख्या 3 को 01.04. 1985 को नियुक्त किया गया था और याचिकाकर्ता संख्या 4 को 20.07.1987 को नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 1, 2, 3 और 4 क्रमशः 31.10.2019, 31.01.2019, 30. 04.2019 और 31.03.2019 को सेवानिवृत हुए हैं।

श्री मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता से कहा कि डब्ल्यू0पी0 (एस0) संख्या 5458 / 2013, सत्यनारायण प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य और डब्ल्यू0पी0 (एस0)

संख्या 6083/2013, निरंजन दुबे बनाम झारखण्ड राज्य दिनांक 07.04.2015 क मामले में इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार जिला स्थापना समिति, दुमका ने दिनांक 03.11.2016 के आदेश द्वारा, जो रिट याचिका के अनुबंध–2 में निहित है, के द्वारा उनरिट याचिकाकर्ताओं को वरीय वेतनमान और प्रवर वेतनमान के भुगतान का निर्णय लिया है। रिट याचिका और उसके अनुसार बाद में राज्य के सभी उपायुक्तों को झारखण्ड सरकार माध्यमिक विद्यालय नियुक्ति और सेवा शर्त नियम, 2016 के आलोक में सहायक शिक्षक पदोन्नति से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए निर्देशित किया गया था। वह आगे कहते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही अभ्यावेदन दायर कर दिया है, लेकिन उत्तरदाताओं द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री रंजन, प्रतिवादी–राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वे उत्तरदाता संख्या 3 एवं 4 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दायर कर सकते हैं, जो निर्णय लेंगे।

उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर और पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ताओं को आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर उन सभी साख जिस पर वे भरोसा कर रहे हैं, को संलग्न करते हुए नए सिरे से अभ्यावेदन दायर करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यदि ऐसा अभ्यावेदन पूर्वोक्त अवधि के भीतर दायर किया गया है, उत्तरदाता संख्या 3 और 4 नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार एक ही विचार करेंगे और उक्त आदेश दिनांक 03.11.2016 जो रिट याचिका के अनुबंध–2 में निहित हैं, जिसके द्वारा उक्त रिट याचिकाओं के

याचिकाकर्ताओं को वरीय वेतनमान और प्रवर वेतनमान प्रदान किया गया था, को ध्यान में रखते हुए बारह सप्ताह की अवधि के भीतर उचित तर्कपूर्ण आदेश पारित करेंगे।

यह कहे बिना जाता है कि यदि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो उसके बाद आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उसका लाभ उनके पक्ष में जारी किया जाएगा।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका को निष्पादित किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)